कर्मचारी राज्य बीमा योजना

नागरिक घोषणा पत्र

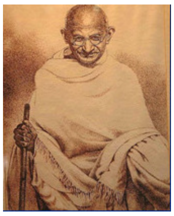

आप जो कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं, उसके पहले सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी का चेहरा याद कीजिए और अपने आप से पूछिये कि उससे उसे कोई फायदा होगा ।

–महात्मा गाँधी

परिशोधित संस्करण : अक्तूबर, 2011

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय
(आई एस ओ 9001–2008 प्रमाणित)
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग
नई दिल्ली–110002
वेबसाइट – www.esic.nic.in/www.esic.in

भारत की क.रा.बी. योजना

- संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए देश की प्रथम बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा योजना 1952 में आरम्भ की गई ।

- आज योजना के दायरे में 5 करोड़ 55 लाख लाभाधिकारी हैं ।

- देश की सबसे बड़ी चिकित्सा सुविधाओं के ढाँचे वाली योजना है ।

- न्यूनतम अंशदान दर पर बहु आयामी स्वास्थ्य बीमा हितलाभ वाली सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है ।

- बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के प्रथम दिन से ही अपने उपभोक्ताओं और उनके आश्रितों का ध्यान रखती है ।

- एकमात्र स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कामगारों तथा उनके आश्रितों को बिना किसी प्रकार की प्रति व्यक्ति व्यय की उच्चतम सीमा के व्यापक चिकित्सा देखरेख प्रदान करती है ।

- प्रतिवर्ष नाम मात्र ₹ 120/– के अंशदान पर ही सेवा निवृत्त/निःशक्त व्यक्तियों को स्वयं व उनके विवाहिती के लिए पूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान करती है ।

- बीमारी अस्थायी/स्थायी अपंगता, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण मृत्यु या व्यावसायिक रोग तथा बेरोजगारी की स्थिति में नकद भुगतान के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है ।

ध्येय

एक अति व्यापक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क जो मूलभूत आर्थिक जोखिमों नामतः बीमारी, निःशक्तता, मृत्यु और प्रसूति से सुरक्षा प्रदान करता है ।

यह सरल और उदार कल्याण विधान का निष्कर्ष है ।

यह एक कुशल, निष्कपट और उपभोक्ता हितैषी संगठन है तथा इसके कर्मचारी मिशनरी के समान उत्साह से कार्य करते हैं ।

आवश्यकता के समय सुरक्षा और सेवा इसका आदर्श वाक्य है ।

यह बीमारी, निःशक्तता और संकट के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

पंचदीप दृष्टि

हम निम्नलिखित के लिए वचनबद्ध हैं :—

1. योजना के सभी पणधारियों के बीच बेहतर समन्वय तथा योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा
2. सुधार करना
   (i) बीमाकृत व्यक्तियों और नियोक्ताओं को तुरत सेवाएँ प्रदान करने के लिए ।
   (ii) बीमाकृत व्यक्तियों और नियोक्ताओं की शिकायतों के तुरत संचालन के निमित्त ।
   (iii) हमारे कार्यालय में बेहतर कार्य वातावरण बनाने के निमित्त ।
3. रोजगार के नए क्षेत्रों और नए सेक्टरों तक योजना की व्याप्ति, कार्य की राजस्व और वसूली संबंधी मदों सहित अधिनियम का अनुपालन, हमारे कार्यालयों तथा कार्यालय अभिलेखों के अनुरक्षण के निमित्त स्वच्छता तथा शिथिल प्रमाणन/हितलाभों के दुरुपयोग पर नियंत्रण ।
4. क्षमता कौशल और सकारात्मक मानवीय संबंधों का विकास (योजना से संबद्ध सभी के बीच प्रशिक्षण तथा पारस्परिक क्रिया के माध्यम से) ।
5. निर्बाध सेवाओं के निमित्त नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण सुनिश्चित करना ।

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना

"एक खुशहाल और स्वस्थ राष्ट्र के लिए सहभागी स्वास्थ्य बीमा योजना"

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना

नागरिक घोषणा पत्र

1. प्रस्तावना

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना संगठित क्षेत्र के कामगारों तथा इनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति अथवा रोजगार चोट या व्यावसायिक बीमारी के कारण मृत्यु तथा निःशक्तता जैसी आकस्मिकताओं में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस उद्देश्य के निमित्त यह स्वास्थ्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को पूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ तथा शारीरिक कष्ट के समय मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए नकद हितलाभ प्रदान करती है ।

2. क.रा.बी. अधिनियम की अनुप्रयोज्यता

क.रा.बी. अधिनियम ऐसे किसी परिसर/अहाता पर लागू होता है जहाँ 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित होते हैं । समुचित राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार प्रतिष्ठानों की विभिन्न श्रेणियों यथा औद्योगिक वाणिज्यिक, कृषि या इसी प्रकार के रोजगार के अन्य वर्गों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करने के लिए प्रस्तुत है । इन समर्थकारी उपबंधों के अंतर्गत अधिकांश राज्य सरकारों ने क.रा.बी. अधिनियमों का विस्तार, स्थापनाओं की कतिपय विशिष्ट श्रेणियों जैसे 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों, दुकानों, होटलों, जलपान गृहों, सिनेमा, पूर्व–दर्शन थियेटरों, मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार तथा विज्ञापन स्थापनाओं आदि तक किया है ।

3. संगठन

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार योजना का कामकाज विधिवत गठित निगमित निकाय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जाता है । इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, नियोजकों, कर्मचारियों, संसद और चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि शामिल हैं । केन्द्रीय

श्रम और रोजगार मंत्री निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं जबकि निगम के महानिदेशक इसके मुख्य कार्यपालक के रूप में दैनंदिन प्रशासन के कार्यभार संभालते हैं ।

सभी पणधारियों को प्रतिनिधित्व देने वाली **स्थायी समिति** का चयन निगमित निकाय में से किया जाता है । यह योजना के कार्यकलापों का प्रबंधन करती है और समय–समय पर लिए गए विभिन्न निगमित निर्णयों और नीतियों आदि के कार्यान्वयन की प्रगति पर भी नजर रखती है ।

चिकित्सा हितलाभ परिषद एक सांविधिक निकाय है और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा हितलाभ के प्रशासन से संबंधित मामलों में निगम को परामर्श देती है ।

4. आधारित संरचना

निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है । व्याप्ति, राजस्व एकत्रीकरण, स्थापनाओं की नई श्रेणियों में योजना का विस्तार, नए क्षेत्रों में योजना के कार्यन्वयन, राज्य सरकारों के साथ समन्वय और सामान्य प्रशासन के प्रयोजनार्थ निगम ने पूरे देश में क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय एवं प्रभागीय कार्यालय स्थापित किए हैं। इस प्रकार के अधिकांश कार्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं ।

लाभाधिकारियों की लगभग 5.55 करोड़ की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए निगम ने तुरंत हितलाभ प्रदान करने के लिए देशभर में सेवा केन्द्रों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है ताकि नकद हितलाभ और पूर्ण चिकित्सा देखरेख की सुविधाएं तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सके। चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए देशभर में 148 क.रा.बी. अस्पतालों, 42 अस्पताल एनेक्सियों में 27739 रोगी बिस्तरों की व्यवस्था के साथ–साथ 1388 क.रा.बी. औषधालय, 1678 से अधिक पैनल क्लीनिकों का एक व्यापक जाल बिछाया गया है। चिकित्सा देखरेख की अति–विशेषज्ञता सेवाएँ मुहैया कराने के लिए निगम ने देशभर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों के साथ टाई–अप व्यवस्था की है । चिकित्सा हितलाभ राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से प्रदान किया जाता है ।

नकद हितलाभों की अदायगी प्राथमिक स्तर पर 798 शाखा कार्यालयों और भुगतान कार्यालयों के माध्यम से की जाती है । ये कार्यालय सीधे निगम के नियंत्रण में कार्य करते हैं ।

5. अंशदान

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का वित्त पोषण मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं से मजदूरी की निश्चित प्रतिशतता के रूप में एकत्रित अंशदान से होता है। फिलहाल अंशदान की दरें इस प्रकार हैं :–

(i) कर्मचारी का अंशदान : मजूदरी का 1.75 प्रतिशत

(ii) नियोक्ता का अंशदान : मजूदरी का 4.75 प्रतिशत

- प्रतिदिन ₹100/– तक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को उनके अंशदान शेयर की अदायगी से छूट दी गई है ।
- राज्य सरकारें प्रतिवर्ष ₹1,200/– की प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा के भीतर चिकित्सा हितलाभ पर किए गए व्यय का 1/8वां भाग तथा अधिकतम सीमा से अधिक कोई भी अतिरिक्त व्यय वहन करती है ।

6. मजदूरी की अधिकतम सीमा

व्याप्त इकाइयों और स्थापनाओं के ₹15,000/– प्रति माह तक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा हितलाभों हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के दायरे में आते हैं ।

7. सामाजिक सुरक्षा हितलाभ

मात्रा, पात्रता और अंशदायी शर्तें :

योजना के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारी व उनके आश्रितजन स्वयं एवं अपने आश्रितों के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं । वे विशिष्ट आकस्मिकताओं के परिणामस्वरूप मजदूरी या अर्जन क्षमता की हानि हो जाने की स्थिति में नकद हितलाभ प्राप्त करने के भी हकदार हैं । बीमाकृत महिला प्रसूति की स्थिति में प्रसूति हितलाभ की हकदार है । यदि रोजगार चोट या व्यवसाय जनित रोग के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितजन पारिवारिक पेंशन–आश्रितजन हितलाभ के हकदार हैं ।

बीमाकृत व्यक्ति और उनके आश्रितजन जिन विभिन्न हितलाभों के हकदार हैं उनकी अवधि, अंशदायी शर्तें इस प्रकार हैं :–

I) चिकित्सा हितलाभ

बीमायोग्य नियोजन में आते ही बीमाकृत व्यक्ति और उसके आश्रितजन के लिए चिकित्सा देखरेख स्वीकार्य हैं । प्राथमिक, बहिरंग, अंतरंग और विशेषज्ञ सेवाएँ, पैनल क्लीनिकों, क.रा.बी. औषधालयों और अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से मुहैया कराई जाती हैं । अति विशेषज्ञता सेवाएँ रेफरल आधार पर बहुत बड़ी संख्या में प्रख्यात नामिकाजद चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं ।

चिकित्सा हितलाभ के लिए पात्रता

- बीमाकृत व्यक्ति व उसके आश्रितजन जैसे पति/पत्नी, माता, पिता और बच्चे उसी दिन से चिकित्सा हितलाभ के पात्र हो जाते हैं जिस दिन बीमाकृत व्यक्ति बीमा योग्य रोजगार में आता है ।
- बीमाकृत व्यक्ति और उसके पति/पत्नी को जिसने अधिवर्षिता, या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्ति या समय पूर्व सेवा निवृत्ति प्राप्त की हो, चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार है बशर्ते नियोजन छोड़ने के पूर्व वह 5 वर्ष तक बीमा योग्य नियोजन में रहा हो या ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को जिसने रोजगार चोट के कारण स्थायी रूप से अपंग होने की वजह से बीमा योग्य नियोजन छोड़ा हो, अधिवर्षिता की उम्र तक, यदि वह इस प्रकार अपंग न हुआ होता ।
- स्वयं तथा पति/पत्नी के लिए उचित चिकित्सा देखरेख प्राप्त करने के लिए शाखा कार्यालय में एकमुश्त देय अंशदान की दर ₹120/– प्रति वर्ष है ।

II) बीमारी हितलाभ (नकद)

बीमारी हितलाभ बीमारी के कारण काम से अनुपस्थिति तथा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा विधिवत् प्रमाणित किए जाने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति को नकद रूप में देय है ।

- बीमाकृत व्यक्ति को यह हितलाभ तभी देय है जब वह छह मास की तदनुरूपी अंशदान अवधि के दौरान कम–से–कम 78 दिन के अंशदान का भुगतान कर चुका हो और बीमा योग्य नियोजन में 9 महीने पूरे कर लिये हों ।

- बीमारी हितलाभ दो लगातार हितलाभ अवधियों में अधिकतम 91 दिन के लिए और दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से देय है ।

II (क) विस्तारित बीमारी हितलाभ (नकद)

विस्तारित बीमारी हितलाभ बीमाकृत व्यक्तियों को प्रमाणित बीमारी अवधि के लिए ऐसी 34 दीर्घकालिक बीमारियों और विरल रोगों की अवस्था में देय है जिसके लिए चिकित्सा परामर्श पर दीर्घकाल तक उपचार और कार्य से अनुपस्थित रहने की आवश्यकता होती है ।

- इस बीमारी हितलाभ की पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि बीमाकृत व्यक्ति कम–से–कम दो वर्ष तक बीमा योग्य रोजगार में कार्यरत हो और वह पूर्ववर्ती 4 अंशदान अवधियों अथवा दो वर्ष में न्यूनतम 156 दिन का अंशदान भी अदा किया हो ।
- विस्तारित बीमारी हितलाभ नामोद्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित चिकित्सा प्रमाणन के आधार पर अधिकतम दो वर्ष (बीमारी हितलाभ के रूप में 91 दिनों को शामिल करते हुए) की अवधि के लिए देय है ।
- विस्तारित बीमारी हितलाभ औसत दैनिक मजदूरी का 80 प्रतिशत नकद के रूप में देय है।
- यह हितलाभ संबंधित शाखा कार्यालय में पूर्ण दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के 7 दिन के अंदर देय है ।

II (ख) वर्धित बीमारी हितलाभ (नकद)

- संतानोत्पत्ति आयु वर्ग के बीमाकृत व्यक्तियों को बंध्यीकरण ऑपरेशन अर्थात नसबंदी/नलीबंदी कराने के लिए देय होता है ।
- इस हितलाभ के लिए अंशदायी शर्तें वही हैं जो सामान्य बीमारी हितलाभ के लिए निर्धारित हैं ।
- वर्धित बीमारी हितलाभ बीमाकृत महिला को नलीबंदी के लिए 14 दिन तथा बीमाकृत पुरुष को नसबंदी के लिए 7 दिन तक के लिए देय है ।
- देय राशि औसत दैनिक मजदूरी के बराबर है ।

III प्रसूति हितलाभ (नकद)

प्रसूति हितलाभ बीमाकृत महिला को हितलाभ अवधि में प्रसूति अथवा गर्भपात अथवा इससे संबंधित बीमारी के मामले में देय है ।

- हितलाभ का दावा करने के लिए बीमाकृत महिला ने तुरंत पूर्व दो लगातार अंशदान अवधियों में कम–से–कम 70 दिन का अंशदान अदा किया हो तथा नए प्रवेशी मामले में प्रसूति/गर्भपात तथा इससे संबंधित बीमारी एक हितलाभ अवधि में पर्याप्त है ।
- हितलाभ साधारणतः सामान्य प्रसव के मामले में 12 सप्ताह के लिए तथा गर्भपात के मामले में छह सप्ताह के लिए देय है जिसे चिकित्सा आधार पर 4 सप्ताह तक आगे बढ़ाया जा सकता है ।
- देय हितलाभ की दर औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत है ।
- देय हितलाभ पूर्णतः प्रमाणित दावा प्रपत्रों की प्रस्तुति के 14 दिन के अंदर देय है ।

IV अपंगता हितलाभ (नकद)

अपंगता हितलाभ रोजगार चोट अथवा व्यावसायिक रोग के कारण शारीरिक रूप से अपंग हुए बीमा योग्य नियोजन में विद्यमान बीमाकृत व्यक्ति को देय है ।

- बीमाकृत व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख को कर्मचारी होना चाहिए ।
- अस्थायी अपंगता हितलाभ औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से अपंगता रहने तक देय है ।
- स्थायी अपंगता के मामले में नकद हितलाभ जीवन पर्यन्त देय है । देय रकम मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के आधार पर परिकलित की जाती है ।
- अपंगता हितलाभ पूर्ण दावा प्रपत्रों के साथ दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर देय है ।

V आश्रितजन हितलाभ (नकद)

आश्रितजन हितलाभ (पारिवारिक पेंशन) उस मृत बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को देय है जिसकी मृत्यु रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण हुई है ।

- विधवा महिला यह हितलाभ मासिक आधार पर जीवन भर या उसके पुनर्विवाह तक प्राप्त कर सकती है ।
- 25 वर्ष की आयु तक पुत्र तथा अविवाहित पुत्री इस हितलाभ को प्राप्त कर सकते हैं ।

- अन्य अश्रित जैसे माता–पिता जिसमें विधवा माता आदि शामिल है, भी इस हितलाभ को कुछ शर्तों के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं ।
- भुगतान की दर औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत है जो कि नियत निर्धारित अनुपात/समानुपात में आश्रितजनों के बीच बंटी है ।
- इसकी पहली किश्त बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर देय है और उसके पश्चात यह नियमित मासिक आधार पर देय है ।

VI अन्य हितलाभ

योजना द्वारा दिए गए अन्य हितलाभ इस प्रकार हैं :–

क) **अंत्येष्टि खर्च** – बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹10,000/– तक की अधिकतम राशि जिसका शाखा कार्यालय में भुगतान किया जाता है । ऐसे भुगतान का दावा बीमाकृत व्यक्ति की मुत्यु के तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए ।

ख) **व्यावसायिक पुनर्वास** – 45 वर्ष तक की आयु के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई शारीरिक विकलांगता जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक के मामले में तब तक देय जब तक कि व्यावसायिक प्रशिक्षण समाप्त नहीं होता – लिया गया वास्तविक शुल्क या ₹123/– प्रतिदिन, जो भी अधिक हो ।

ग) शारीरिक साधनों तथा उपकरण जैसे कि बैसाखियाँ, पहिए वाली कुर्सी, दंतावली, चश्मे तथा ऐसे अन्य शारीरिक सहायता उपकरण की **निशुल्क आपूर्ति** ।

घ) **निरोधक स्वास्थ्य सेवाएँ** जैसे कि टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएँ, एच आई वी/एड्स बीमारी का पता लगाना, उपचार आदि ।

ङ) **प्रसूति भत्ता** ₹2,500/– की दर पर बीमाकृत महिला या बीमाकृत व्यक्ति के संदर्भ में उसकी पत्नी को उस मामले में देय है जब प्रसव उस स्थान पर होता है जहाँ पर क.रा.बी. योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं । यह भत्ता केवल दो प्रसवों तक देय है ।

च) **बेरोजगारी भत्ता** जिसका नाम राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना है, कामगार को देय है जो कि गैर–रोजगार चोट के कारण हुई स्थायी अशक्तता 40 प्रतिशत से कम नहीं या छंटनी या कारखाना/स्थापना के बंद होने के कारण अस्वैच्छिक रूप से बेरोजगार हुए हैं, तथा जिनके संदर्भ में रोजगार की क्षति से पूर्व कम–से–कम तीन वर्ष की अवधि के अंशदान का भुगतान किया गया या देय हो । बेरोजगारी भत्ते की दैनिक दर औसत दैनिक मजदूरी का 50% है । यह भत्ता पूर्ण जीवन काल के दौरान अधिक से अधिक 12 महीने तक की अवधि के लिए देय

है जिसका या तो एक ही अवधि या एक माह से कमतर न हो, विभिन्न अवधियों में भुगतान किया जा सकता है । बेरोजगारी भत्ता प्राप्तकर्ता अपने कौशल को बढ़ाने के इच्छुक हैं तो ए वी टी आई के द्वारा अल्प अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । इस पूरे शुल्क का वहन निगम द्वारा किया जाता है तथा रेल द्वारा आने–जाने के किराए की भी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जाती है ।

छ) **अति विशेषज्ञता चिकित्सा उपचार**

बीमाकृत व्यक्ति और उसके पारिवारिक सदस्यों (दुर्घटना में घायल हुए के अतिरिक्त) को अति विशेषज्ञता चिकित्सा देखभाल तथा/या इन पर प्रतिपूर्ति जिसमें दवाइयों की कीमत शामिल है, केवल तभी देय है जबकि बीमाकृत व्यक्ति ने स्वयं के मामले में तीन माह की सेवा पूरी की हो तथा 39 दिनों के अंशदान का भुगतान किया हो एवं पारिवारिक सदस्यों के संदर्भ में छह माह की सेवा तथा 78 दिवसों के अंशदान का भुगतान किया हो ।

ज) ₹ 100/– की राशि का भुगतान आश्रितजन हितलाभ लाभार्थियों को किया जाता है जो कि जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने शाखा कार्यालय में जाते हैं ।

8. सेवा मानक

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध हितलाभों के भुगतान के लिए समय सूची निम्नानुसार हैः–

	हितलाभ भुगतान		समय सूची
i)	बीमारी हितलाभ	–	7 दिनों के उपरांत नहीं
ii)	अंत्येष्टि खर्च	–	दावा प्राप्त होने पर तुरंत अर्थात् उसी दिन
iii)	प्रसूति हितलाभ का प्रथम भुगतान	–	14 दिनों के उपरांत नहीं
iv)	अस्थायी अपंगता हितलाभ का प्रथम भुगतान	–	एक माह के उपरांत नहीं
v)	स्थायी अपंगता हितलाभ का प्रथम भुगतान	–	एक माह के उपरांत नहीं
vi)	आश्रितजन हितलाभ का प्रथम भुगतान	–	दावो के उपरांत तीन माह के बाद नहीं । अतः संबंधित चिकित्सा या अन्य प्रमाण पत्र या अन्य किसी दस्तावेजी साक्ष्य सहित जो कि इन विनियमों के अंतर्गत मांगे जा सकते हैं ।

उप विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के अंदर हितलाभ भुगतान जहाँ नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट उपयुक्त (क्षेत्रीय) कार्यालय को तथा उसका भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जाए ।

9. नियोक्ताओं को लाभ

- इस योजना के तहत व्याप्त कर्मचारियों के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 को लागू करने के लिए छूट ।
- बीमाकृत महिला के संबंध में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को लागू होने से छूट ।
- क.रा.बी. अधिनियम के तहत अंशदान के रूप में भुगतान की गई कोई भी धनराशि की "आयकर अधिनियम के तहत आय" संगणन में कटौती की जाती है ।

10. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रक (सेक्टर) में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

- विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना – विकलांग व्यक्ति जो 01.04.2008 अथवा उसके बाद रोजगार में लगे हों तथा 25,000/– तक मासिक मजदूरी आहरित करते हों वे इस योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं तथा नियोक्ता के अंशदान का हिस्सा 3 वर्ष के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त होता है।

11. नियोक्ताओं के अधिकार और कर्त्तव्य

(क) नियोक्ताओं के कर्त्तव्य

- कारखाना अथवा स्थापन में अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के अंदर नियोक्ता फॉर्म 01 में क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्ति के लिए आवेदन करेंगे ।
- नियोक्ता इकाई में सभी व्याप्त कर्मचारियों के संबंध में परिवार तथा बीमाकृत व्यक्ति की फोटो के साथ घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे ।
- बीमा योग्य रोजगार में आने पर शीघ्र ही नियोक्ता घोषणा प्रपत्र में विवरण लेंगे तथा उनके हस्ताक्षर लेंगे ।
- नियोक्ता संबंधित शाखा कार्यालय से अस्थायी पहचान पत्र एकत्र करेंगे फिर स्थायी फोटो पहचान पत्र लेकर संबंधित कर्मचारियों को देंगे ।

- ❖ नियोक्ता अनुवर्ती माह के 21 दिनों के अंदर निर्धारित दरों के अनुसार कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों का अंशदान जमा करवाएंगे ।
- ❖ नियोक्ता एक दुर्घटना पुस्तक का रखरखाव करेंगे तथा शाखा कार्यालय को दुर्घटना रिपोर्टें प्रस्तुत करें जिनमें दुर्घटना के 24 घंटों के अंदर कार्य (जॉब) पर उपस्थित बीमाकृत कामगार (कामगारों) को शामिल किया जाए ।
- ❖ नियोक्ता अधिनियम के तहत अपेक्षित सभी रिकार्डों तथा रजिस्टरों का रखरखाव करेंगे तथा उन्हें निगम के प्राधिकृत अधिकारियों के सामने सत्यापन/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें ।
- ❖ जब भी जैसे भी अपेक्षित हो नियोक्ता क.रा.बी.नि. के दौरा अधिकारी द्वारा रिकॉर्डों/रजिस्टर तथा परिसरों के निरीक्षण में उपयुक्त/सहायता करेंगे ।
- ❖ नियोक्ता यथावत सभी कॉलमों को भरकर प्रत्येक वर्ष 12 मई/11 नवम्बर को अर्धवार्षिक अंशदान विवरणी (आर.सी.) प्रस्तुत करेंगे ।
- ❖ नियोक्ता अंशदान विवरणी में कालक्रम में बीमाकृत व्यक्तियों की बीमा संख्या तथा सभी पत्राचार में अपनी कूट संख्या को दर्शाएं ।
- ❖ नियोक्ता अधिनियम की अनुप्रयोज्यता से संबंधित तथ्यों अथवा नियमित, भाड़े या संविदागत कर्मचारियों के हितलाभों की अनुप्रयोज्यता की कोई गलत घोषणा अथवा गलत प्रस्तुतीकरण नहीं करेंगे ।
- ❖ नियोक्ता यह सुनिश्चित कर लें कि अंशदान का भुगतान माह में ₹15,000/– तक मजदूरी आहरित करने वाले ठेका श्रमिक, बदली तथा आकस्मिक मजदूरों के संबंध में किया जाए ।
- ❖ नियोक्ता कारखाना/स्थापन के बंद होने की तारीख की रिपोर्ट क.रा.बी.नि. शाखा कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में उसके बंद होने के सात दिनों के अंदर ही करें तथा क.रा.बी. देयताओं का निपटान कर दें ।
- ❖ नियोक्ता कारोबार के क्रियाकलाप, पता, स्वामित्व अथवा प्रबंधन में हुए किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट उसी समय क.रा.बी.नि. प्राधिकारियों को करेंगे ।
- ❖ किसी कारखाने/स्थापना को खरीदते, उपहार में लेते, लीज पर लेते, लाइसेंस या अन्यथा रूप में अपने हाथ में लेते समय यह भी मालूम करेगा कि उस कारखाने/स्थापना की कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रति देनदारी क्या है, क्योंकि इस प्रकार की सभी देनदारियों के लिए नया नियोक्ता ही उत्तरदायी होगा ।

(ख) नियोक्ता के अधिकार

- ❖ क.रा.बी. निगम, चिकित्सा हितलाभ परिषद और समय–समय गठित की जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण समितियों में प्रतिनिधित्व का अधिकार ।
- ❖ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित फार्मों की आपूर्ति का अधिकार ।
- ❖ बीमाकृत व्यक्तियों की मजदूरी से मौके पर ही कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से की वसूली का अधिकार ।
- ❖ किसी विवाद की स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय में अपील करने का अधिकार ।
- ❖ दावे के विवाद के मामले में क.रा.बी. निगम के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार ।
- ❖ योजना की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त करने का अधिकार बशर्ते कि प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जाने वाले हितलाभ योजना के हितलाभों के बराबर अथवा बढ़िया हों ।
- ❖ अधिनियम की प्रयोज्यता, हितलाभों, अंशदान, निरीक्षणों और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित सभी अनिवार्य सूचना प्राप्त करने का अधिकार ।

12. <u>बीमाकृत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपाय</u>

1. अधिनियम के अधीन देय किसी हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार जो हस्तांतरणीय या समनुदेशनीय नहीं होगा ।
2. अधिनियम के अधीन भुगतान किए जाने वाले नकद हितलाभ को किसी डिक्री या किसी न्यायालय के आदेश से कुर्क अथवा बेचा नहीं जा सकता ।
3. बीमारी हितलाभ या मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने की अवधि के दौरान नियोजक व्याप्त कर्मचारी को बरखास्त, सेवा मुक्त नहीं करेगा या मजदूरी कम नहीं करेगा या अन्यथा दंड नहीं देगा ।
4. क.रा.बी. अधिनियम के अधीन उसकी अंशदान की देयताओं के भुगतान के कारण कोई भी नियोजक व्याप्त कर्मचारी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मजदूरी कम नहीं करेगा ।
5. तत्काल निवारण हेतु किसी भी स्तर पर शिकवे/शिकायत दर्ज करने का अधिकार ।
6. चिकित्सा बोर्ड इत्यादि की किसी भी कार्रवाई/निर्णय के विरुद्ध क.रा.बी. न्यायालय में जाने का अधिकार ।

13. हितलाभ वितरण

क.रा.बी. निगम को हितलाभ वितरण के संबंध में सुनिश्चित करना है कि :–

- हितलाभों की गुणता और मात्रा निगम द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित प्रतिमानक और मानक के अनुसार है ।
- बीमाकृत व्यक्तियों और लाभाधिकारियों को हितलाभ निश्चित समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध कराए जाते हैं ।
- लाभाधिकारियों का प्राथमिक स्तर पर काउंटर पर शाब्दिक या कार्यात्मक कोई उत्पीड़न नहीं किया जाता है ।
- लाभाधिकारियों को हितलाभ दावे हेतु सभी अपेक्षित सूचना, प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराई जाती है ।
- दावे इत्यादि भरने के लिए अपेक्षित हो सकने वाले सभी प्रकार के फार्म इत्यादि लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं ।
- हितलाभ वितरण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर किसी भी लाभार्थी का शोषण नहीं किया जाता है
- क.रा.बी.नि./क.रा.बी.यो. स्थापनों द्वारा अधिसूचित कार्यालय समय का कड़ाई से पालन किया जाता है और इसे प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को सुगम तरीके से हितलाभ देने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो ।
- प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा विनिर्देशित दवाइयां, पट्टियाँ, टीके इत्यादि समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं ।
- प्रख्यात एवं सरकारी/निजी अस्पतालों के साथ क.रा.बी. निगम द्वारा टाई अप व्यवस्था के माध्यम से अति विशेषज्ञ सेंवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।
- रोगी वाहन और चिकित्सकों द्वारा घर जाकर देखने की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- लिखित शिकायतों हेतु कार्यालय परिसर में एक शिकायत पेटी रखी गई है ।

14. नियोजकों की सेवा में क.रा.बी. निगम की भूमिका

- नियोजकों के साथ उत्तरदायी, उद्देश्यपूर्ण और सृजनशील संबंध विकसित करना ।
- विश्वास निर्माण उपाय के रूप में योजना में सुधार हेतु उनकी सक्रिय भागीदारी आमंत्रित करते हैं ।
- क.रा.बी. अधिनियम के अन्तर्गत वैध दायित्व के निर्वाह हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ।
- उन्हें यथा अपेक्षित फार्म और प्रपत्र समय–समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं ।
- यह सुनिश्चित कराना कि क.रा.बी. निगम की ओर से शिथिल चिकित्सा प्रमाणन कारखाने या स्थापन की उत्पादकता कम नहीं करता है ।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी कठिनाई, शंका या गलतफहमी के मामले में नियोक्ता को उपयुक्त स्तर पर अपनी बात कहने का मौका दिया जाए ।
- यह सुनिश्चित करना कि नियोक्ता की ओर से प्राप्त पत्रों का समय पर और निष्पक्ष उत्तर भेजा जाए ।
- यह सुनिश्चित करना कि परिसर या रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत निगम के किसी कार्मिक द्वारा नियोक्ता का उत्पीड़न न किया जाए ।
- यह सुनिश्चित करना कि नियोक्ताओं से प्राप्त शिकायत का तीव्र निराकरण करने हेतु इस पर सुस्पष्ट ढंग से विचार किया जाए ।

15. जन शिकायतों का निपटान

कर्मचारी राज्य बीमा योजना कामगारों को बहुआयामी सेवाएं प्रदान करने वाला सघन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है । प्रतिदिन लगभग 10 लाख लाभार्थी प्राथमिक स्तर पर उपचार अथवा नकद हितलाभ प्राप्त करने के लिए सेवा केन्द्रों में जाते हैं । समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के सेवाकार्य से जुड़े इस प्रकार के विशाल और गतिशील तंत्र में जाने–अनजाने लाभार्थियों को परेशानी होने की काफी हद तक संभावानाएं हैं । तदनुसार क.रा.बी. निगम ने सभी स्तरों अर्थात् मुख्यालय/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय/शाखा कार्यालयों तथा क.रा.बी. औषधालयों/अस्पतालों में जन शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की है । क.रा.बी. योजना के अंतर्गत जन शिकायतों के शीघ्र निपटान तथा त्वरित सुनवाई को सुनिश्चित करने के लिए निगम ने विभिन्न उपाय किए हैं ।

शिकायतें लिखित रूप में, टॉल फ्री हेल्पलाइन सं. 1800–11–2526 के माध्यम से दूरभाष पर, डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित अधिकारियों मे से किसी को भी रिपोर्ट की जा सकती हैः–

शाखा कार्यालय स्तर	:	शाखा कार्यालय प्रबंधक
औषधालय स्तर	:	बीमा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
अस्पताल स्तर	:	चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक
राज्य/क्षेत्रीय स्तर	:	(i) लोक शिकायत अधिकारी (ii) क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम (iii) निदेशक/संयुक्त निदेशक प्रभारी, क.रा.बी. निगम (iv) वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त (v) निदेशक, चिकित्सा, क.रा.बी. योजना
मुख्यालय स्तर	:	i) महानिदेशक ii) चिकित्सा आयुक्त iii) बीमा आयुक्त iv) निदेशक(जन शिकायत)

क.रा.बी. निगम, सी आई जी मार्ग
पंचदीप भवन
नई दिल्ली–110002
ई मेल–jd-pg@esic.nic.in/jd-sys@esic.nic.in
दूरभाष 011-23234092/93/98
फैक्स 011-23234537

निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान कर आंतरिक शिकायत निवारण मशीनरी को मजबूत करने के उपाय किए हैं । इन कार्यशालाओं में निगम में लोक शिकायतों की प्रकृति और प्रकार को और उन शिकायतों के प्रभावी रूप से निवारण के साधन और तरीकों को समझाने पर बल दिया जाता है । क्षेत्र कार्यालयों और स्थापनों में ग्राहक मैत्री वातावरण का निर्माण करने पर भी बल दिया जाता है ।

लोक शिकायत प्रणाली ने नवम्बर, 2004 से इंटरनेट पर ई–मेल पता डालना आरम्भ किया है ताकि सभी पणधारियों द्वारा ई–मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सके ।

16. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन भारत का कोई भी नागरिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में अपेक्षित शुल्क सहित एक आवेदन निम्नलिखित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सी पी आई ओ) को भेज सकता है (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 और 2(ग) की परिभाषा के अन्तर्गत)

क) चिकित्सा स्थापनाएं

क.रा.बी. अस्पताल	–	सहा.निदेशक / उप निदेशक (के.लो.सू.अधि.)
निदे.(चिकि.) दिल्ली	–	सहा.निदेशक / उप निदेशक (के.लो.सू.अधि.)
निदे.(चिकि.) नोएडा	–	सहा.निदेशक / उप निदेशक (के.लो.सू.अधि.)
क.रा.बी. औषधालय	–	बीमा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (के.लो.सू.अधि.)

ख) क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय	–	सहा.निदेशक / उप निदेशक (के.लो.सू.अधि.)
उप क्षेत्रीय कार्यालय	–	सहा.निदेशक / उप निदेशक (के.लो.सू.अधि.)
प्रभागीय कार्यालय	–	सहा.निदेशक / उप निदेशक (के.लो.सू.अधि.)
शाखा कार्यालय	–	शाखा प्रबंधक (के.लो.सू.अधि.)

ग) मुख्यालय – निदेशक / अपर आयुक्त (सू.का अधि. / के.लो.सू.अधि.)

17. टोल फ्री हेल्पलाइन

प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए और पणधारियों को क.रा.बी. निगम से संबंधित सूचना तक पहुँचने हेतु सरल चरण प्रदान करने के लिए और क.रा.बी. योजना को ग्राहक हितैषी बनाने के लिए एक टॉल फ्री हेल्पलाइन सं. 1800–11–2526 स्थापित की गई है और 01. 12.2006 से सक्रिय की गई है (सभी कार्यदिवसों में सुबह 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक) अब टॉल फ्री हेल्पलाइन 01.07.2011 से 7 दिन 24 घंटे सक्रिय है । इस संबंध में अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं । प्रणाली लोक शिकायत कक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य कर रही है और बीमा आयुक्त एवं महानिदेशक द्वारा समीक्षा की जाती है। वर्तमान में यह प्रणाली व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती है परन्तु सॉफ्टवेयर विकसित

करने और लाभार्थियों के मुद्दे निपटान हेतु 24 x 7 हेल्पलाइन आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

18. सतर्कता संबंधित मामले

योजना के अधीन व्याप्त नियोजक और कर्मचारी सतर्कता संबंधित मामलों हेतु अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम से संपर्क कर सकते हैं या उन्हें लिख सकते हैं :–

मुख्य सतर्कता अधिकारी / निदेशक(सतर्कता)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग,
नई दिल्ली–110002
फोन : 011–23221105 (मु.स.अ.) / 23230145(निदेशक)
011–23234092 (विस्तार 293 / 311)

19. ऑनलाइन सेवाएं

क.रा.बी. निगम में, द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) पोर्टल आधारित वेबसाइट www.esic.nic.in तथा www.esic.in पहले से ही सेवाओं में है । आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित सेवाएं पणधारियों द्वारा ऑनलाइन उपयोग की जा सकती है ।

i) नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का पंजीकरण ।

ii) नियोक्ताओं द्वारा क.रा.बी. अंशदानों का ऑनलाइन भुगतान ।

iii) शाखा कार्यालयों में नकद हितलाभ का भुगतान ।

iv) औषधालयों तथा अस्पतालों में चिकित्सा कार्ड की सुविधा ।

v) "पंचदीप परियोजना" के तहत सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात कार्यक्रम ।

vi) पणधारी क.रा.बी. निगम में कहीं भी और कभी भी इंटरनेट सुविधा के माध्यम से शिकायत दर्ज करने तथा उसका निवारण पाने के लिए सशक्त है ।

vii) पणधारी सी पी जी आर ए एम, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन लोक शिकायत दर्ज कराने के लिए सशक्त है ।

20. <u>सामान्य सूचना</u>

योजना, व्यक्ति अथवा संगठन के बारे में अन्य किसी सूचना के लिए क.रा.बी.नि. वेबसाइट पर लॉगऑन करें अथवा निम्नलिखित में से किसी भी कार्यालय में संपर्क करें ।

शाखा कार्यालय स्तर : शाखा कार्यालय प्रबंधक

औषधालय स्तर : प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी

अस्पताल स्तर : चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक

राज्य/क्षेत्रीय स्तर :
(i) लोक शिकायत अधिकारी
(ii) क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम
(iii) निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, क.रा.बी. निगम
(iv) वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त
(v) निदेशक, चिकित्सा, क.रा.बी. योजना

मुख्यालय स्तर :
i) महानिदेशक
ii) चिकित्सा आयुक्त
iii) बीमा आयुक्त
iv) निदेशक(लोक शिकायत)

क.रा.बी. निगम, सी आई जी मार्ग
पंचदीप भवन
नई दिल्ली–110002
ई मेल–jd-pg@esic.nic.in/jd-sys@esic.nic.in
दूरभाष 011-23234092/93/98
फैक्स 011-23234537

क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय

अपर आयुक्त / क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक	संबंधित कार्यालय का पता तथा वेबसाइट	दूरभाष सं. (कार्यालय) तथा ईमेल पता
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) यू.एच. राव, अपर आयुक्त–व–क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, 5–9–31 / 1 / बी, पुराने गाँधी मेडिकल कॉलेज के सामने, बशीरबाग, मेन रोड, हैदराबाद–500063 http://www.apesic.nic.in/	040-23266025, 23266016, 23266027, 23266037 23231987(आवास) 040-23266010 (फैक्स) rd-ap@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) जे.एस. मूर्ति, प्रभारी संयुक्त निदेशक	14–20–27, गाँधी नगर, पदनाभा बिल्डिंग, विजयवाड़ा–520003	0866-2571880(D), 0866-2570464 dir-bza@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) जनार्दन राव, निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, एन टी आर सहकारा भवन, डी सं. 58–14–57 / 1, द्वितीय तल, मैरीपेलम, वुडा लेआउट, एन ए डी (पोस्ट) विशाखापत्नम–530009	0891-2733219 0891-2733126 0891-2796635 (फैक्स) sro-vizag@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी (असम) पी. बरुआ, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, बामुनी मैदान डाकघर, गुवाहाटी–781021	0361-2550357, 0361-2550075(आवास) esic@gul.dot.not.in rd-assam@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना (बिहार) गौतम घोष, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, बेली रोड, सी आर बिल्डिंग के सामने, पटना–800001	0612-2521928 0612-2533314(फैक्स) root@esic.bin.nic.in rd-bihar@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, रांची (झारखंड) एल. जमीर, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, अस्पताल परिसर, नामकुम, रांची–834010	0651-2261581 0651-2261569(T/F) rd-jharkhand@esic.nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) जे.के. डागर, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, 18, साउथ एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ http://www.esicraipur.org	0771-2254589 0771-2254598 (फैक्स) rd-cgarh@esic.nic.in
क्षेत्रीय कर्यालय, दिल्ली ए.के. वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक–व–अपर आयुक्त	क.रा.बी. निगम, डी.डी.ए. शॉपिंग तथा ऑफिस कॉम्पलैक्स, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 http://esicdelhi.org.in	011-25745044 011-25734381(फैक्स) 011-25731762(फैक्स) rd-delhi@esic.nic.in rd-delhi@esicdelhi.org.in rdesidel@bol.net.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी (दिल्ली), प्रणय सिन्हा, निदेशक	क.रा.बी. निगम, सैक्टर–7, साईं बाबा मन्दिर के पास, रोहिणी, नई दिल्ली	011-27048945 011-27056510(T/F) 011-27040347 dir-rohini@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला (दिल्ली), एम.के. शर्मा, निदेशक	क.रा.बी. निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, सी–149, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020	Dir : 011-26814613 DD(F) : 011-26817130 Fax : 011-26813811 EPABX: 011-26371775 011-26811288 dir-okhla@esic.nic.in
प्रभागीय कार्यालय, नंद नगरी (दिल्ली), अशोक चन्द्रा, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, प्रभागीय कार्यालय, पार्श्वनाथ टॉवर, शाहदरा दिल्ली–110093	011-22123685 011-22123948 (फैक्स) do-nandnagri@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी (गोवा) आर.एस. राव, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, तृतीय तल, ई डी सी, प्लॉट सं. 23, पट्टो, पणजी, गोवा–403001 http://www.esicgoa.org.in	0832-438858(TeleFax) 0832-2438859- DD(Fin.) esicgoa@goatelecom.com rd-goa@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद (गुजरात) एल.के. पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक एवं अपर आयुक्त	क.रा.बी. निगम, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014 http://esicgujarat.org	079-27540544 079-25740498 (फैक्स) esiabd@adl.vsnl.net.in rd-gujrat@esic.nic.in

उप क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा (गुजरात) एम.एच. चन्दराना, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, उर्मिल सोसायटी, क.रा.बी. औषधालय, सं. डी–1, अल्का पुरी, बड़ौदा–452008 http://esicvadodara.org	0265-2324442 0265-2324446 (फैक्स) dir-vadodara@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत (गुजरात) वी.वी.एस.पी. रामचन्द्र राव, निदेशक	क.रा.बी. निगम, क.रा.बी. अस्पताल परिसर, माजूरा गेट, रिंग रोड, सूरत–395001	0261-2233195 0261-2235621 (फैक्स) dir-surat@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा) ए.के. श्रीवास्तव, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, लक्ष्मी नारायण मन्दिर के पीछे, सेक्टर–16, फरीदाबाद, हरियाणा–121002	0129-2284728 0129-2282442(फैक्स) 0129-2264078(फैक्स) esicfbd@nicfbd.chd.nic.inrd-haryana@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुड़गाँव (हरियाणा) एम.एस. दहिया, निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, प्लॉट सं. 47, सेक्टर–34, हीरो होंडा चौक के पास, गुड़गाँव–122001 हरियाणा http://esicgurgaon.in/	0124-2370270(T/F) esicggn@gmail.com sro-gurgaon@esic.nic.in
प्रभागीय कार्यालय, अंबाला (हरियाणा) देवकी नंदन, संयुक्त निदेशक	प्रभागीय कार्यालय	0171-2521447 0171-2521943(फैक्स) sro-ambala@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, परवाणू (हिमाचल प्रदेश) बी.एस. नेगी, निदेशक		01792-235056 01792-235057 01792-235134(फैक्स) dir-parwanoo@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू एवं कश्मीर रतन कुमार, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, 10–डी (राधा भवन), शास्त्री नगर, जम्मू–180004	0191-2459568 0191-2459682 (फैक्स) rd-jnk@esic.nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलौर (कनार्टक) के.एफ.जानवेकर, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सं. 10, बिन्नी पेठ, बिन्नी फील्ड्स, बेंगलौर–560023 (कर्नाटक) http://www.esickar.gov.in/	080-26740764 080-26741307(फैक्स) esicbng@kar.nic.in rd-karnataka@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली (कर्नाटक) ए. श्रीनिवासन, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, निकेतन शॉपी, सर्वोदय सर्कल, केशवपुर, हुबली–580023	0836-2354627 (T/F) 0836-2237303 0836-2237827 (फैक्स) esihbl@vsnl.com dir-hubli@esic.nic.in
प्रभागीय कार्यालय, गुलबर्ग (कर्नाटक) एस. नजीर अहमद, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, प्रभागीय कार्यालय, सं. 15, अरिहंत नगर, सेदम रोड, गुलबर्ग–585103	08472-278478 08472-278479 sro-gulbarga@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, बोमसांद्रा (कर्नाटक) सी.आर. नागेश्वरन, निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, सं. 23, 9वां 'बी' एण्ड 'सी' मेन, बी टी एम रिंग रोड, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, बेंगलौर	sro-bommasandra@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, पीन्या (कर्नाटक) जे.एच. नायक, निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, हारिनी टॉवर, 8वां क्रास, तीसरा मेन, ऑफ रिंग रोड, (एफ टी आई के समीप) II स्टेज, इण्डस्ट्रियल सबर्ब, यशवंतपुर, बेंगलौर	080-23376821/23376831 080-23376841 (फैक्स) 080-23373917 (JD's No.) sro-peenya@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शूर (केरल) टी.एम. जोसफ, अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, नॉर्थ स्वराज रोड, तृश्शूर–680020 http://esickerala.gov.in/	0487-2331241, 0487-2338441 (फैक्स) rdesikerala@dataone.in rd-kerala@esic.nic.in

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम (केरल) एस.वी. कृष्ण कुमार, निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, सेंट थॉमस शॉपिंग कॉम्पलैक्स, क्रास जंक्शन, क्यू.एस. रोड, कोल्लम–691001	0474-2761190, 2767247 0474-2760097 (फैक्स) sro-kollam@esic.nic.in Br.Office-Trivendrum - 0471-2335067 (Fax) Liaison Office - 0471-2325068
उप क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम (केरल) टी.एम. जोसफ, निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम,	0484-2102016 0484-2102031 sro-ernakulam@esic.nic.in
प्रभागीय कार्यालय, कोज़िकोड (केरल) के.पी. अप्पचन, निदेशक		rd-kerala@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर (मध्य प्रदेश) ए.के. मुखोपाध्याय, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, नंदा नगर, इंदौर–452008 http://esicmp.in	0731-2576452 0731-2550485 (फैक्स) rd-mp@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई (महाराष्ट्र) एस.सी. चक्रवर्ती, अपर आयुक्त–व–क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, 108 एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 http://esicmaharashtra.gov.in	022-24933329 022-24933330 022-24925352(फैक्स) karabini@vsnl.com rd-maharashtra@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे (महाराष्ट्र) एस. बिस्वास, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, क.रा.बी. अस्पताल संकुल, पंचम तल, वागले एस्टेट, ठाणे–400604	022-25805222 022-25806131 (फैक्स) dir-thane@esic.nic.in esicthane@mtnl.net.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल (महाराष्ट्र) मंजु चक्रवर्ती, निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, प्लॉट सं. 9, मार्ग सं. 7, एम आई डी सी, मरोल, अंधेरी (पूर्व) मुंबई–400093	022-28270207 022-28303542(फैक्स) dir-marol@esic.nic.in

उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे (महाराष्ट्र) एस.के. सिन्हा निदेशक	क.रा.बी. निगम, साइट सं. 689/690, बिबवेवाडी, पुणे–411037 http://www.esicpune.in/	020-24218710 020-24215153(फैक्स) esipune@mah.nic.in dir-pune@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपरु (महाराष्ट्र) एस.सी. भारद्वाज, निदेशक,	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, गणेश पेठ, नागपुर–440018	0712-2722987 0712-2729353 0712-2729359(फैक्स) esicngp@nagpur.dot.net.in dir-nagpur@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) डी.टी. उंधीरवडे, संयुक्त निदेशक,	क.रा.बी. निगम, द्वितीय तल, क.रा.बी.यो. अस्पताल भवन, पी–16, नरेगाँव मार्ग, एम.आई.डी.सी., चिकल थाना औरंगाबाद (महाराष्ट्र)–431210	0240-2483144(T/F) 0240-2485949, 6452516 sro-aurangabad@esic.nic.in
प्रभागीय कार्यालय, नासिक (महाराष्ट्र) आर.के. चौधरी, संयुक्त निदेशक		
क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर (ओड़िशा) ए.एस. मीरान, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, प्लॉट सी, जनपथ, इकाई सं. 9 भुवनेश्वर–751007 http://www.esicorissa.nic.in/	0674-2540207 (T/F) 0674-2542174 0674-2542175 rdesicor@bsnl.in rd-orissa@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ (पंजाब) बी.बी. पुरी, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, ब्लॉक सं. 3, सेक्टर 19ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160020 http://www.esicpunjab.org/	0172-2544126 0172-2542892(फैक्स) rd-punjab@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना (पंजाब) के.एस. धालीवाल, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.एफ. 22,23, फेज़ 2, फोकल प्वाइंट, लुधियाना, पंजाब	0161-2670838-41 0161-2670839(फैक्स) sro-ludhiana@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, जलंधर (पंजाब) जे.एस. ढांडा, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय,	sro-jalandhar@esic.in

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (राजस्थान) आर.पी. मीणा, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302001 http://www.esicrajasthan.com/	0141-2385774, 0141-2385767 0141-2222047(फैक्स) esicjpr@raj.nic.in rd-rajsthan@esic.nic.in
प्रभागीय कार्यालय, जोधपुर (राजस्थान) सुब्रतो मुखर्जी, संयुक्त निदेशक		0141-2229058 sro-jodhpur@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर (राजस्थान) जी.सी. दर्जी, संयुक्त निदेशक	5, भोपालपुरा (आर.के. प्लाज़ा) शास्त्री सर्कल के समीप, उदयपुर (राजस्थान) पिन–313001	0294-2418807 sro-udaipur@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै (तमिलनाडु) के. पद्मजा नाम्बियार, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, 143, स्टर्लिंग रोड, चेन्नै–600034 http://www.esichennai.org/	044-28279952 044-2838559(फैक्स) esichennai@dataone.in edprochennai@gmail.com rd-tamilnadu@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै (तमिलनाडु) एस. मौ. मोहिद्दीन, अपर आयुक्त–व–क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, 4 मेन रोड, के.के. नगर, मदुरै–625020 http://www.esicmadurai.org	0452-2532989 0452-2531255 (फैक्स) esimdu@vsnl.com dir-madurai@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर (तमिलनाडु) एस. वासुदेवन, निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप संकुल, 1897, त्रिची मार्ग, रामनाथपुरम, कोयम्बतूर–641045 http://esicoimbatore.org/	0422-2315940 0422-2314430 0422-2315970(फैक्स) jtdr@md5.vsnl.net.in dir-kovai@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) एम. करुणानिधि, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. निगम, म्यूनिसिपल शॉपिंग संकुल, सिंधुपुंथूरई, तिरुनेलवेली पिन–627001 www.esictirunelveli.org	0462-2332107 (फैक्स) 0462-2332105 sro-tirunelveli@esic.nic.in

उप क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम (तमिलनाडु) निदेशक	क.रा.बी. निगम, 39/57, थ्रि रोड्स, सेलम–636009	0427-2336941, 2336942 0427-2336943 (F) jdesicslm@hotmail.com sro-salem@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, पांडिचेरी (पुदुचेरी) श्रीमती के. पद्मजा नांमियार, अपर आयुक्त–व–क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, क.रा.बी.नि. संकुल, बोवनकारे स्ट्रीट, मुदिलियापेट, पुदुचेरी–605004	0413-2354268 (R.D.) 0413-2357642 0413-2357662 (फैक्स) rd-pondi@esic.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश) पी.के. श्रीवास्तव, अपर आयुक्त–व–क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर–208005 http://www.esicuttarpradesh.org/	0512-2217957 0512-2224061(फैक्स) esic@knp.nic.in rd-up@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा (उत्तर प्रदेश) संजय सिन्हा, निदेशक	क.रा.बी. निगम, सी–22/12, सेक्टर–57, नोएडा–201301 www.esicsronoida.org.in	0120-2584445 0120-2585644(फैक्स) sro-noida@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक	क.रा.बी. अस्पताल कैमपस, पाण्डेय पुर, वाराणसी–221002 http://esicsrovaranasi.org.in/	0542-2502518 0542-2504553 0542-2500115 0542-2509098 (फैक्स) sro-varanasi@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) डी.के. मिश्र, संयुक्त निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, ए–11, सेक्टर–3 अलीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश	0522-2745170 0522-2745175 sro.lucknow@esic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (उत्तरांचल) कैप्टन उपेन्द्र शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, विंग सं. 4, शिवपुरी, प्रेम नगर, देहरादून उत्तराखंड	0135-2774763 0135-2774762 0135-2772099(फैक्स) rd-uchal@esic.nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) जी.सी. जेना, अपर आयुक्त–व–क्षेत्रीय निदेशक	क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, 5/1, ग्रांट लेन, कोलकाता–700012 http://esicwestbengal.org/	033-22259236(T/F) join5279@dataone.in rd-westbengal@esic.nic.in
उप क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) अरुण पाण्डे, संयुक्त निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, द्वितीय तल, सिंची टावर, 177एफ, बी टी रोड, सोदेपुर, पी ओ पनीहाटी, कोलकाता–700114 जिला–24 परगना (पश्चिम), पश्चिम बंगाल http://www.esicbarrackpore.org/	033-25231503 033-25231949(फैक्स) dir-bpore@esic.nic.in

आज कर्मचारी राज्य बीमा योजना—2010–2011 (31.03.11 के अनुसार)

व्याप्ति		
•	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	29
•	कार्यान्वित केन्द्रों की संख्या	790
•	कर्मचारियों की संख्या	1.54 करोड़
•	बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार इकाइयों की संख्या	1.55 करोड़
•	बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	24.89 लाख
•	लाभार्थियों की संख्या	6.02 करोड़
•	व्याप्त नियोक्ताओं की संख्या	4.43 लाख
अवसंरचना		
	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों की संख्या	57
	शाखा/भुगतान कार्यालयों की संख्या	799
	क.रा.बी. अस्पतालों की संख्या	147
	अस्पताल अनैक्सियों की संख्या	42
	अस्पताल बिस्तरों की संख्या	22,325
	क.रा.बी. औषधालयों/भा.चि.प. इकाइयों की संख्या	1402/93
	बीमा चिकित्सा अधिकारी/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या	7983
	परा चिकित्सा स्टाफ की संख्या	45000

क.रा.बी. योजना के 60 वर्ष
कामगारों की सामाजिक सुरक्षा
हेतु
5000 से अधिक सेवा केन्द्र

प्रकाशक :
महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम – भारत
लोक शिकायत प्रकोष्ठ, मुख्यालय, क.रा.बी.नि. द्वारा प्रस्तुत एवं अभिकल्पित